न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी— कैलाश चन्द्र शर्मा
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
58 / 2017 / प्रा.पत्र / 2017	28.08.2017	28.02.2019

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.... प्रार्थी

बनाम

1. श्री हेमन्त जैन पुत्र शांति लाल जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोयल एन्टर प्राइजेज कनवाडा रोड आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 निवासी वार्ड नं.06 दूनी रोड आंवा तहसील दूनी जिला टोंक
2. मैसर्स गोयल एन्टर प्राइजेज कनवाडा रोड आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0
3. श्री प्रशान्त कुमार सिंहल पुत्र दामोदर सिंहल प्रोपरायटर मैसर्स पी.के. ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास सदर बाजार जहाजपुर जिला भीलवाडा राज. निवासी सदर बाजार जहाजपुर जिला भीलवाडा राज.
4. मैसर्स पी. के. ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास सदर बाजार जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0

...... अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2 (ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित—

1—प्रार्थी की ओर से श्री मदन लाल गूर्जर, खा0सु0अ0 स्वयं।
2—अप्रार्थी उपस्थित

:—निर्णय—:

दिनांक 28.02.2019

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.03.2017 को समय 11.02 पी.एम. पर वास्ते निरीक्षण मैसर्स गोयल एन्टर प्राइजेज कनवाडा रोड आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 पर पहुंचां। एफ.बी.ओ. एवं प्रोपरायटर की हैसियत से श्री हेमन्त जैन एफ.बी.ओ. मैसर्स गोयल एन्टर प्राइजेज कनवाडा रोड आंवा तहसील दूनी जिला टोंक राज0 खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय पत्र दिखाया तथा उसका परिचय लिया, पूछने पर प्रतिष्ठान का मालिक होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र होना स्वीकार किया एवं मौके पर दिखाया।

आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय हेतु दुकान में मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) रखा हुआ था, का निरीक्षण करने पर मिलावट की शंका होने पर. एफ.बी.ओ. श्री हेमन्त जैन को गवाह के सामने फार्म नं. 5ए में वास्ते नमूना कय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता हेमन्त जैन एवं गवाह के हस्ताक्षर करवाकर प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर तस्दीक किया।

आवेदक द्वारा दुकान में मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) में रखे गये अलग—अलग सील्ड पोली पैक 500—500 ग्राम के 10 नग प्लास्टिक कट्टो मे वास्ते आम जनता को विक्रय हेतू रखे हुये मे से एक प्लास्टिक कटटे का चयन कर उसको खोलकर 500—500 ग्राम के चार नग कुल 2.00 किलोग्राम को वास्ते नमूना जांच खरीदा जिसकी बाजार भाव के समान कीमत एफ.बी.ओ. श्री हेमन्त जैन को रू0 280/—अक्षरे दो सो अस्सी रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये।

आवेदक द्वारा खरीदशुदा मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) 500—500 ग्राम के चार भाग तैयार कर प्रत्येक भाग को अलग—अलग चोकोर व सूखी प्लास्टिक के डिब्बो को अच्छी तरह एयरटाईट कर बन्द कर व लेबल तैयार कर प्रत्येक भाग पर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

Scanned by CamScanner

गोंद से चिपकाया और प्रत्येक लेबलो पर डी.ओ.कोड एवं कमांक I–1602 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं के हस्ताक्षर किये एवं विकेता के तथा गवाह के हस्ताक्षर करवाये गये।

चारो नमूना भागो को अलग–अलग खांकी कागज में लपेटकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. I–1602 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई से गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर एफ.बी.ओ. हेमन्त जैन के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आवे। चारो नमूना भागो को अपने जाप्ते में लिया व मोका फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं0 6 की 6 प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सील बन्द कर सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक अजमेर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक के पत्र कमांक एफ.एस.एस.ए./17/1946 दिनांक 16.05.2017 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं0 एल0एस0/230/एक्ट/2017/230 दिनांक 13.04.2017 अनुसार हेमन्त जैन से वास्ते नमूना जांच विकय किया गया मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) एफ.एस.एस.ए. की धारा 3(1) (zf) (C) (i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का होना पाया गया।

अतः प्रकरण में अप्रार्थी द्वारा **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा किसी प्रकार का कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया तथा अप्रार्थी प्रशान्त कुमार सिंहल ने अपना जुर्म स्वीकार कर अब मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) का लेवल मे परिर्वतन करना स्वीकार किसा। प्रार्थी ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) का विकय कर रहा था वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। अप्रार्थी हेमन्त जैन को मिर्च पावडर चेतक एगमार्क पॉली पैक (Chilli Powder Chetak Agmark Poly Pack) **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** का नही बेचने बाबत चेतावनी दी गई। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (ii) के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी श्री प्रशान्त कुमार सिंहल पुत्र दामोदर सिंहल प्रोपरायटर मैसर्स पी. के. ट्रैडिग कम्पनी बस स्टैण्ड के पास सदर बाजार जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0 निवासी सदर बाजार जहाजपुर जिला भीलवाडा राज0 पर शास्ती 5,000/– (अक्षरे पांच हजार रू0) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.02.2019 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2019 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(कैलाश चन्द्र शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0

Scanned by CamScanner